उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
संख्या : बी-1-3432/दस-2003-247/2003
लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2003

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-1064/दस-2003-247/2003 दिनांक 13 मार्च, 2003 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 206 के अनुसार विधान सभा ने वित्तीय वर्ष 2003-2004 के माह अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 2003 के लिये लेखानुदान स्वीकृत कर दिया है ताकि राज्य सरकार 2003-2004 का मूल आय-व्ययक पारित होने तक उक्त अवधि के दौरान होने वाले खर्चों को वहन कर सके । विधान-मण्डल द्वारा प्राधिकृत धनराशि जो सामान्यतया पूरे वर्ष के अनुमानित व्यय के 3/12वें भाग को व्यक्त करती है, "द्वितीय लेखानुदान" नामक पुस्तक में प्रदर्शित की गई है । समेकित निधि में से विधान-सभा द्वारा स्वीकृत धनराशियों का आहरण और उक्त निधि पर भारित धनराशियों के विनियोग किये जाने का प्राधिकार भी उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या -6 सन् 2003) द्वारा प्रदान कर दिया गया है ।

2- "द्वितीय लेखानुदान" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से 2003-2004 के मूल आय-व्ययक से सम्बन्धित विनियोग विधेयक के अधिनियम होने के दिनांक तक, व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उस धनराशि का उपयोग वर्ष 2003-2004 की नई मदों के कार्यान्वयन के लिये न किया जाय । अतः किसी विभागीय अनुदान के अन्तर्गत एकमुश्त प्राविधान के अन्तर्गत किसी नई मद / नई सेवा के लिए कोई वित्तीय स्वीकृति जारी न की जाय । किन्तु उन वर्तमान अस्थाई पदों को जारी रखने की स्वीकृति जिनकी 2003-2004 में आवश्यकता हो, पूरे वर्ष के लिये इस शर्त पर प्रसारित की जा सकती है कि "लेखानुदान" की अवधि के बाद इन पदों को उसी दशा में जारी रखा जायेगा, जबकि उनके लिये आवश्यक धनराशियाँ 2003-2004 के मूल आय-व्ययक और सम्बन्धित विनियोग अधिनियम के माध्यम से उपलब्ध हो जायें ।

3- रिसोर्स लिंक्ड परियोजनाओं - यथा बाह्य सहायतित परियोजनायें, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तथा केन्द्रीय / केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, के लिये बजट प्राविधान के समक्ष तत्परता से औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके तथा आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर के आदेश प्राप्त करके वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें तथा किसी भी दशा में उक्त हेतु बजट में की गयी व्यवस्था को अन्य योजनाओं हेतु व्यवर्तित न किया जाय ।

4- प्रधानमंत्री ग्रामोद्य योजना (पी.एम.जी.वाई.) के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास तथा पुष्टाहार की मदों / कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार से एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है । अतः उक्त मदों / कार्यक्रमों के लिए विभागीय अनुदान के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि में पी.एम.जी.वाई. के अंश को समायोजित करके वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें । यदि पी.एम.जी.वाई. के अन्तर्गत पृथक से बजट प्राविधान है, तो उसके समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के सम्बन्ध में पत्रावली पर नियोजन विभाग का परामर्श प्राप्त करने के बाद ही अग्रेतर कार्यवाही की जाय ।

5- जिन मामलों में प्रथम लेखानुदान अवधि में पुनर्विनियोग के माध्यम से संक्रमित धनराशियों को अब बजट प्राविधानों में सम्मिलित कर लिया गया है, उनकी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करते समय इसे ध्यान में रखा जाय । इसी प्रकार जिन मामलों में चालू योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गयी हैं और अब बजट प्राविधानों में समतुल्य राशि की वृद्धि कर दी गयी हो, उन मामलों में भी द्वितीय लेखानुदान अवधि में पुनः वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी न की जायें ।

6- समस्त प्रशासकीय विभाग अपने अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें । जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग द्वितीय लेखानुदान की अवधि (अक्टूबर - दिसम्बर, 2003) के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय ।

7- उपरिउल्लिखित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 13 मार्च, 2003 के प्रस्तर 3-8, 9 (प्रस्तर-6 की सीमा तक संशोधित), 10, 12-19, 21-23 में दिये

गये निर्देश द्वितीय लेखानुदान द्वारा व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने / व्यय करने के सन्दर्भ में यथावत् लागू होगें ।

8- प्रशासकीय विभाग उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें ।

रीता शर्मा
प्रमुख सचिव ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव ।

संख्या : बी-1-3432(1)/दस-2003-247/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3 समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
4 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

डा.बी.एम.जोशी
सचिव, वित्त ।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 56 सा० वित्त—22-9-2003—(1186)–8,000 (आफसेट)।